पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रीतम कुमार IAS

प्रकरण सं0 : 160/2023

अनवान :

1. अंकित यादव पुत्र करणीसिंह जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. सरला पत्नी करणीसिंह जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. करणीसिंह पुत्र ओंकारमल जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
2. अंकिता पुत्री करणीसिंह जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।
3. नीकिता पुत्री करणीसिंह जाति यादव निवासी जाटान तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सतवीर पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मांगेराम हूड्डा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जाटान के खाता सं0 16/8 के खसरा सं0 375/2 की 2.2760है0, ख0सं0 427/173 की 0.253है0, ख0सं0 433/335 की 1.5180है0 कुल 4.0470है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 करणीसिंह के नाम दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 करणीसिंह अकेले की बजाय वादी सं0 1 अंकित यादव, वादी सं0 2 सरला व प्रतिवादी सं0 1 करणीसिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(प्रीतम कुमार) I.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

Scanned with CamScanner